दिल्ली पुनर्वास व झुग्गी-झोपड़ी के स्तर पर

मास्टर प्लान 2021 का परीक्षण एवं मास्टर प्लान 2041 के लिए सुझावों का अध्ययन

अगस्त 2021

लोक शक्ति मंच

खतरा केंद्र

भाग-I परिचय

किसी शहर की संरचना उसके मास्टर प्लान पर निर्भर करती है | इस अध्ययन के माध्यम से मास्टर प्लान 2021 के दावों और प्रयासों का पुनर्वास कॉलोनियों व झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के स्तर पर परीक्षण करके, यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि मास्टर प्लान में इन समुदायों में बुनियादी सुविधाओं की क्या योजना की गई थी एवं मास्टर प्लान में की गई योजना क्या इन समुदायों को प्राप्त हो पाई? दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बनने के समय मास्टर प्लान 2021 का कितना पालन हुआ, उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, और उनके अपने शहर पर विचार को संग्रहित करने की कोशिश की गई है |

यह अध्ययन दिल्ली की 14 पुनर्वास कॉलोनियों एवं झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के 1506 परिवारों के साथ किया गया है | अध्ययन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की समीक्षा एवं मास्टर प्लान 2041 के लिए लोगों के सुझाव लेने के उद्देश्य से किया गया है |

मास्टर प्लान

किसी भी शहर का मास्टर प्लान उस शहर के भविष्य को तय करता है । शहर का समग्र विकास मास्टर प्लान पर निर्भर करता है | मास्टर प्लान में उस शहर की पूरी योजना को दर्शाया जाता है | शहर का विकास, कहां आवासीय होगा, कहां पर व्यावसायिक | कैसे शहर वासियों की आवश्यकता के अनुसार सड़क, सीवर, पार्क, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि का निर्माण किया जाएगा | मास्टर प्लान में मुख्यतः खाली पड़ी शहरी ज़मीन का अलग अलग इस्तेमाल की योजना बनाई जाती है | आम आदमी के लिए मास्टर प्लान में मानक तय किये जाते है जिसके तहत शहर के अंतिम नागरिक तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँच सके |

दिल्ली मास्टर प्लान एक ऐसी योजना है जिसमे शहर की योजना के साथ सामान्य जन के लिए भी योजना सुनिश्चित की जाती है, जिसके तहत:

- शहरी भूमि विकास,
- आवास,
- बुनियादी सुविधाएँ (जैसे सीवर एवं जलापूर्ति, स्कूल, अस्पताल, कचरे का निपटारा, पार्क)
- कारोबार,
- रेहड़ी पटरी, बाजार, आदि

के लिए जगह सुनिश्चित की जाती है और शहर की रूपरेखा तैयार की जाती है |

दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के तहत दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिसमें 3.06 लाख लोग रहते हैं | इसके अनुसार दिल्ली शहर का एक बड़ा वर्ग झुग्गी बस्तियों में रहता है | झुग्गी बस्तियां में कहीं भी मानकों का क्रियान्वयन कहीं देखने को नहीं मिलता है |

मास्टर प्लान 2041 मे दिल्ली शहर के रहने वाले सभी लोगों की भागीदारी से बने | लोग क्या सोचते है अपने शहर या आवासीय स्थान के बारे में, इसी सन्दर्भ में झुग्गी वासियों और पुनर्वास बस्तिवासियों को भी शामिल करना और उनके सुझाव को जोड़ना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है | इस सर्वेक्षण में लोगों के सुझावों को भी आमंत्रित किया गया है, मुख्य रूप से पुनर्वास कॉलोनी एवं झुग्गी बस्तियां में रहने वाले दिल्ली के लोगों को |

उद्देश्य

1. इस अध्ययन का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्र के लोगों से मास्टर प्लान 2021 के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के माध्यम से दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों (जिन्हें सरकार द्वारा बसाया (पुनर्वासित) गया है) एवं दिल्ली में स्थित झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं, सुविधाओं की सत्यता एवं आयामों आदि का परीक्षण करना है |

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) मास्टर प्लान 2041 पर सुझाव आमंत्रित कर रहा है । ऐसे में यह अध्ययन जहाँ एक ओर बुनियादी सुविधाओं का परीक्षण करेगा वही दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आने वाला मास्टर प्लान 2041 में इन बस्तियों के लिए लोगों के सुझावों को लेने और जोड़ने की कोशिश भी करेगा |

दिल्ली मास्टर प्लान

दिल्ली शहर की आबादी 1901 से 1941 के बीच दुगुनी होकर 9 लाख से अधिक हो गई थी | इसके बाद 1947 मे देश के बटवारे के बाद शहर मे अचानक 5 लाख लोग और या गए | इन सब को दिल्ली मे बसाया, लेकिन 1955 मे शहर में पीलिया की बीमारी बड़े स्तर पर फैली, जिसमें 700 लोग गुजर गए | यह पता चला की इसका कारण था कि अचानक शहर की आबादी इतनी बढ़ गई और जहां यमुना से पानी सप्लाइ किया जाता था वो दूषित हो गई, और शहर में इतने बड़े पैमाने पर पीलिया फैल गया | इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने Town Planning Organisation (TPO) की स्थापना की, और 1957 मे दिल्ली विकास प्राधिकरण बना |

अगले तीन साल TPO ने दिल्ली के मास्टर प्लान पर काम किया, और दिल्ली शहर का सबसे पहला मास्टर प्लान 1962 मे बना | इसके बाद एशियाड खेल के समय 1982 मे, फिर 2001 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान मास्टर प्लान 2021 बने |

अध्ययन की कार्य - प्रणाली

दिल्ली के 6 पुनर्वास कॉलोनी और 8 झुग्गी कॉलोनी में कुल 1506 परिवार के सदस्यों का सर्वे किया गया । हर बस्ती में करीब 100 परिवारों के सदस्यों का सर्वे करने की कोशिश करी गयी । नीचे सर्वे की गई बस्तियों की सूची है -

झुग्गी बस्तियाँ -

- रोहिणी सैक्टर-20 झुग्गी JP कैंप,
- बादली,
- वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी,
- जहांगीरपुरी K ब्लॉक,
- जहांगीरपुरी H ब्लॉक,
- CD पार्क जहांगीरपुरी,
- लखी पार्क जहांगीरपुरी
- कलंदर कालोनी

- पुनर्वास बस्तियाँ -
  - भलसवा,
  - मदनपुर खादर,

- बवाना,
- सावदा घेवरा,
- होलम्बी कलाँ,
- रोहिणी सैक्टर-20 पुनर्वास बस्ती

सर्वे सुविधाजन्य प्रतिचयन तकनीक से, याने की convenience संपलिंग से किया गया है | सर्वे के दौरान लोगों से निम्न विषयों पर जानकारी इकट्ठी करी गयी -

- उत्तरदाताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति
- उत्तरदाताओं के काम और यातायात के विषय पर
- उत्तरदाताओं की बस्तियों में स्थित सुविधाएं
- इन सुविधाओं की पर्याप्तता, याने की उनके बस्ती में कितनी सुविधाएं होने की ज़रुरत है

जनसांख्यिकी-

यह सर्वे 14 बस्तियों में किया गया, जो ज़्यादातर उत्तरी दिल्ली में स्थित हैं । हर बस्ती से करीब 100 - 150 परिवार के सदस्यों का सर्वे किया गया । नीचे दिए गए तालिका में हर बस्ती में उत्तरदाताओं की संख्या दी गयी है | कुल 1506 परिवार के सदस्यों का सर्वे किया गया ।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की रहने की जगह

	क्षेत्र	**उत्तरदाता**
1	भलस्वा पुनर्वास	154
2	मदनपुर खादर पुनर्वास	94
3	बवाना पुनर्वास	103
4	सवदा घेवरापुनर्वास	150
5	होलंबी पुनर्वास	121
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	62
7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	112
8	बादली	62
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	149
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	104
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	94
12	CD पार्क	113
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	96
14	कलंदर कॉलोनी	92
	कुल	**1506**

यह परिवार दिल्ली अलग अलग दशकों में आए । ज़्यादातर परिवार 1970-80 (35.4%) और 1980-90 (49.8%) के दशकों में दिल्ली आए ।

तालिका 2: दिल्ली कब आए?

दिल्ली कब आए?	पुनर्वास बस्तियाँ		झुग्गी बस्तियाँ		कुल
<1950	15	2.2	6	0.7	21
1950-60	21	3.1	32	3.9	53
1960-70	32	4.7	60	7.3	92
1970-80	251	36.7	282	34.3	533
1980-90	356	52.0	394	47.9	750
1990-2000	9	1.3	48	5.8	57
कुल	684	100.0	822	100.0	1506

हर परिवार के एक सदस्य से बात हुई, जो ज़्यादातर 30-60 साल की आयु के थे । लगभग समान महिलाओं और पुरुषों से बात हुई - 54.6% उत्तरदाता पुरुष थे और 45.4% उत्तरदाता महिलाएं । औसत हर परिवार में 5.02 सदस्य हैं, दिल्ली में औसत परिवार संख्या के सामान । दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में हर परिवार में औसत 5.02 सदस्य हैं । हर परिवार मैं औसत 1.6 सदस्य कमाते हैं ।

शिक्षा

इन 1506 परिवार में 7287 सदस्यों के शिक्षा की जानकारी ली गयी, जिसमे स्कूल न जाने वाले बच्चों की जानकारी नहीं जोड़ी गयी है । औसत 26.4% लोग निरक्षर थे । ज़्यादातर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य कम शिक्षित थे |

तालिका 3: शिक्षा

शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	1923	26.4
प्राथमिक	1336	18.3
माध्यमिक	1431	19.6
उच्च माध्यमिक	1374	18.9
उच्चतम माध्यमिक	825	11.3
स्नातक (उच्च शिक्षा)	395	5.4
कुल	7284	100.0

चित्र 1: शिक्षा

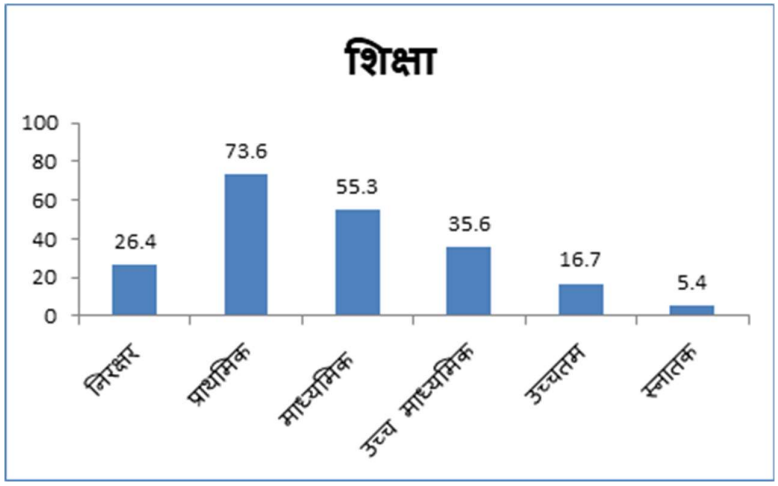

लोगों से स्कूल की समस्याओं के बारे में पूछा गया | उत्तरदाताओं ने बताया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन का नहीं मिलना (48.7%), स्कूलों मे कम सुविधाएं (77.7%), दूरी (43.6%) और स्कूल मे ढंग से पढ़ाई न होना (32.8%) - यह सभी समस्याएँ हैं |

चित्र 2: सरकारी स्कूल में समस्याएं

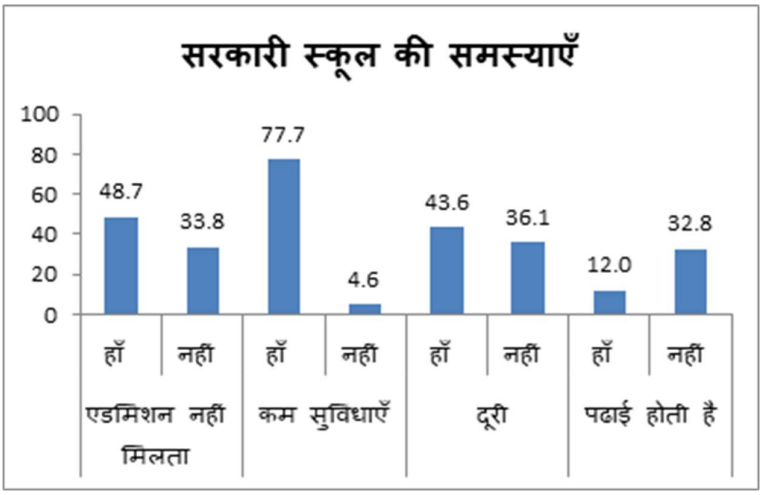

निजी स्कूलों में उत्तरदाताओं ने बताया कि टी.सी. नहीं मिलना (64%), RTE के तहत दाखिला नहीं मिलना (65.7%), फ़ेल होने पर निकाल देना (68.5%) और अधिक खर्चा (40.2%) - यह सभी दिक्कतें आती हैं | ऐसी स्थिति में झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कॉलोनी के बच्चों के लिए निजी स्कूलों मे शिक्षा प्राप्त करना उनकी क्षमताओं से बाहर हो जाता है |

चित्र 3: निजी स्कूल में समस्याएं

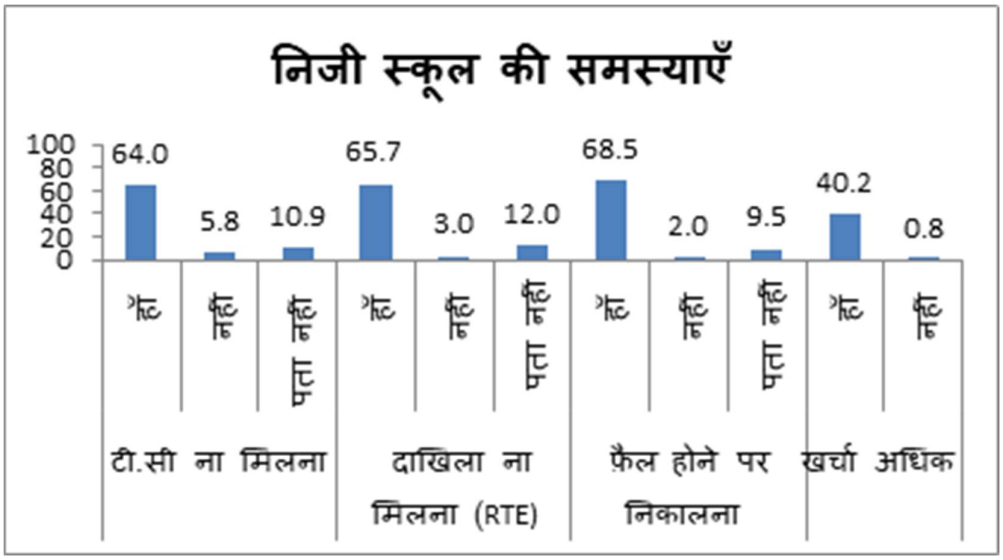

रोज़गार

ज़्यादातर उत्तरदाता अस्थायी तौर पर वेतन लेकर (50.7%) या दिहाड़ी (34.2%) पर काम करते हैं । जिन परिवारों का सर्वे किया गया उनके सभी महिला सदस्यों मे से 9.9% महिलाएं का कुछ रोज़गार है, और 47.7% पुरुषों का कुछ रोज़गार है |

झुग्गी बस्तियों की तुलना में पुनर्वास बस्तियों में थोड़े ज़्यादा लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं । परंतु बहुत लोगों को काम के लिए तलाश करने के बावजूद काम नहीं मिलता |

तालिका 4: काम का प्रकार

काम का प्रकार	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
स्थाई वेतन	23	2.1	28	2.3	51	2.2
अस्थायी वेतन	536	48.9	639	52.0	1177	50.7
दिहाड़ी	362	33.1	435	35.4	795	34.2
स्वरोजगार	172	15.7	125	10.2	297	12.8
कोई जवाब नहीं	2	0.2	1	0.1	3	0.1
कुल	1095	100.0	1228	100.0	2323	100

चित्र 4

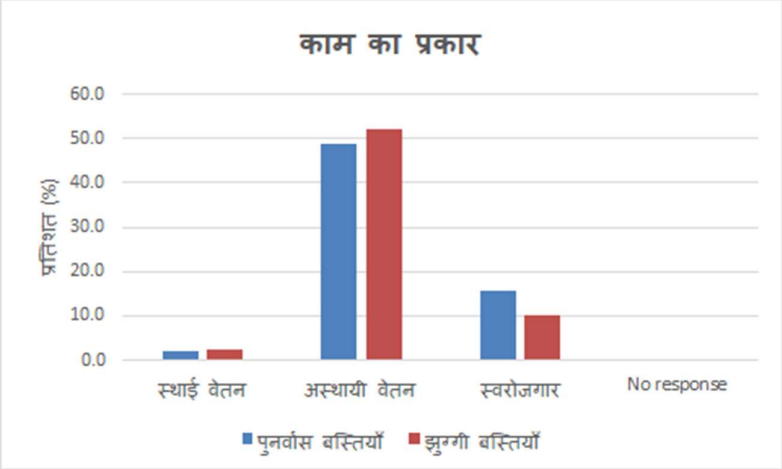

लोगों से जब पूछा गया कि उन्हें रोजगार आसानी से मिलता है कि नहीं, 96.5% उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें आसानी से रोजगार मिलता ही नहीं है |

जैसा कि नीचे दिये गए तालिका से देखा जा सकता है, झुग्गी बस्तियों के अपेक्षा पुनर्वास बस्तियों में ज़्यादा लोग घरों में, ऑफिस में या अनिश्चित जगह पर काम करते हैं, जब कि झुग्गी बस्तियों में ज़्यादा लोग बाज़ारों और फ़ैक्टरियों में काम करते हैं ।

तालिका 5: कार्यस्थल

कार्यस्थल	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
	संख्या	%	संख्या	%		
घर	78	7.3	40	3.4	118	5.3

फैक्ट्री	240	22.6	304	25.9	544	24.3
बाज़ार	198	18.6	293	24.9	491	21.9
आवासीय कालोनी	345	32.5	371	31.5	716	32.0
ऑफिस	66	6.2	46	3.9	112	5.0
अनिश्चित	133	12.5	122	10.4	255	11.4
कोई जवाब नहीं	3	0.3	0	0.0	2	0.1
कुल	1063	100.0	1176	100.0	2239	100

झुग्गी बस्ती के वासियों की अपेक्षा पुनर्वास कॉलोनी के वासियों को काम के लिए ज़्यादा दूर जाना पड़ता है । जहां 51.1 % झुग्गी वासियों को काम के लिए 2 किलोमीटर से कम दूर जाना पड़ता है, केवल 34.6 % पुनर्वास बस्ती वासी अपने काम के स्थल से 2 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं । इसी कारण जहां 53.3 % झुग्गी वासी काम के लिए पैदल जाते हैं, वहाँ केवल 42.4% पुनर्वास बस्ती वासी काम के लिए पैदल जाते हैं ।

तालिका 6: काम की दूरी

दूरी	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
	संख्या	%	संख्या	%		
<2 km	332	34.6	521	51.1	853	43.1
2-5 km	147	15.3	162	15.9	309	15.6
5-10 km	127	13.2	154	15.1	281	14.2
10-20 km	135	14.1	79	7.8	214	10.8
20-30 km	73	7.6	16	1.6	89	4.5
>30 km	63	6.6	26	2.6	89	4.5
अनिश्चित दूरी	82	8.6	61	6.0	143	7.2
कुल	959	100	1019	100	1978	100

चित्र 5

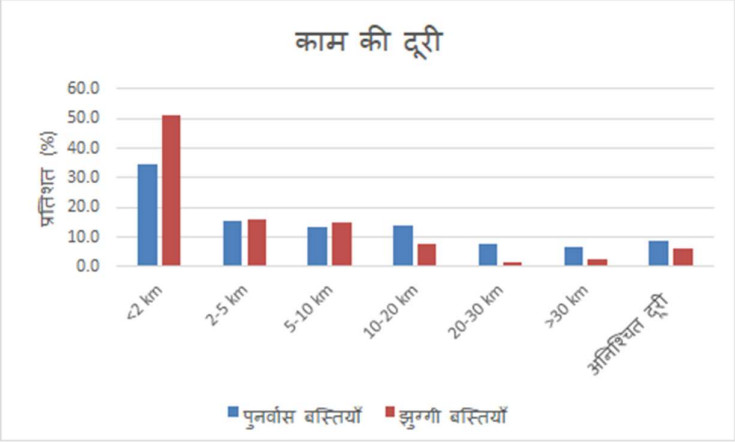

तालिका 7: यातायात का साधन

यातायात का साधन	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
	संख्या	%	संख्या	%		
बस	328	37.0	264	28.5	592	32.6

रिक्शा	22	2.5	57	6.1	79	4.4
अपना वाहन	72	8.1	24	2.6	96	5.3
पैदल	376	42.4	494	53.3	870	48.0
साइकिल	81	9.1	78	8.4	159	8.8
अन्य	8	0.9	10	1.1	18	1.0
कुल	887	100.0	927	100.0	1814	100

ऊपर दिये तालिका से हम देख सकते हैं कि लोग ज़्यादातर पैदल (48%) या बस (32.6%) से काम के लिए जाते हैं । निजी वाहन से केवल 5% लोग जाते हैं | इन सब आंकड़ों से साफ दिखता है कि पुनर्वासित करने से लोगों को काम मिलने और काम को करते रहने मे कैसी समस्याएं आती हैं |

आमदनी

औसत हर परिवार में 1.6 सदस्य कमाते हैं | पुनर्वास बस्ती में परिवार के औसत 1.63 सदस्य काम करते हैं, और झुग्गी वासी के 1.54 सदस्य काम करते हैं | काम करने वाले लोगों में महिलाओं के मुकाबले पुरुष की ज़्यादा मात्रा है |

ज़्यादातर लोगों की मासिक आय या तो 6 से 9 हज़ार (44.9%) या 3 से 6 हज़ार (33.9%) के बीच है | औसत झुग्गी वासियों की आय रु. 6866 पायी गयी, और पुनर्वास बस्ती की आय रु. 6880 पाई गयी | दोनों की ही मासिक आय जीने योग्य वेतन से कम पायी गयी | 2017 में भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमिटी गठित की, एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की मात्रा के लिए | इस कमिटी ने शहरी लोगों के लिए जुलाई 2018 में ₹11,180 प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश दी | इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी नौकरों के लिए न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह है (7th CPC) |

झुग्गी वासियों की पारिवारिक आय रु. 10,349 और पुनर्वास बस्ती वासियों की आय औसत रु. 11,094 पायी गयी |

इस सर्वे के अनुसार 95.9% लोगों की मासिक आय अनूप सत्पथी कमिटी के द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन से कम है | सरकारी नौकरों के न्यूनतम वेतन के साथ कोई तुलना भी एक तरह से हास्यास्पद है | (यह सर्वे कोविड) के पहले किया गया था |

तालिका 8: मासिक आय

मासिक आय (रु)	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
	संख्या	%	संख्या	%		
<3000 pm	63	5.7	47	3.79	110	4.7
3 - 6000	402	36.4	392	31.64	794	33.9
6 - 9000	424	38.4	627	50.61	1051	44.9
9 - 12000	153	13.9	137	11.06	290	12.4
12 - 15000	36	3.3	21	1.69	57	2.4
>15000	25	2.3	15	1.21	40	1.7
कुल	1103	100	1239	100	2342	100

चित्र 6

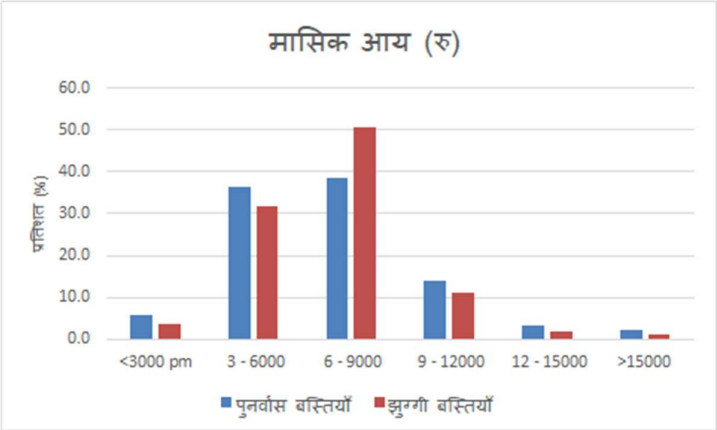

तालिका 9: कितने दिन काम मिलता है?

महीने में कितने दिन काम मिलता है?	**पुनर्वास बस्तियाँ**		**झुग्गी बस्तियाँ**		**कुल**	**प्रतिशत**
	संख्या	%	संख्या	%		
5 - 10	14	1.3	17	1.4	31	1.3
10 - 15	72	6.6	65	5.3	137	5.9
15 - 20	176	16.1	236	19.2	412	17.8
20 - 25	54	4.9	64	5.2	118	5.1
25 - 30	777	71.1	844	68.8	1621	69.9
कुल	1093	100	1226	100	2319	100

ऊपर हम देख सकते हैं की एक चौथाई उत्तरदाताओं को महीने में 20 दिन से कम काम मिला | यह स्थिति झुग्गी वासी और पुनर्वास बस्ती वासी दोनों की ही है |

96.5% उत्तरदाता कहते हैं उन्हें आसानी से रोजगार मिलता ही नहीं है | इसीलिए लोग रोजगार के नाम पर कुछ भी विकल्प तलाशते हैं, जिसे वे स्वरोजगार की संज्ञा देते हैं | लोग रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी, फेरी लगाना, नाई का काम इत्यादि को लोग स्वरोजगार बोलते हैं | इसके अतिरिक्त मौसमी काम (seasonal) जैसे कि छोलिया छीलना, पट्टी ठोकना, माला बनाना, सितारे टांगना, राखी बनाना, सजावट का समान बनाना आदि कामों में पूरा परिवार पूरे दिन मेहनत करता है, और न्यूनतम दिहाड़ी भी नहीं कमा पाते हैं | आंकड़ों के अनुसार पुनर्वास बस्तियों मे 15.7% और झुग्गी बस्ती मे 10.2% उत्तरदाता स्वरोजगार करते हैं |

उक्त तरह का स्वरोजगार करने में भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जगह का नहीं होना (96.3%) और अवसर नहीं मिलना (93.7%) | इसके अतिरिक्त जब लोग अपना निजी काम करना चाहते हैं उन्हें लाइसेन्स नहीं मिलता, 91.8% लोगों को यह समस्या आती है |

उक्त रोजगार संबंधी समस्याओं को देखते हुए लोग आने वाले 20 वर्षों में अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि उन्हें नौकरी (82.7%) मिलनी चाहिए, जो कि स्थायी हो (82.8%) |

चित्र 7

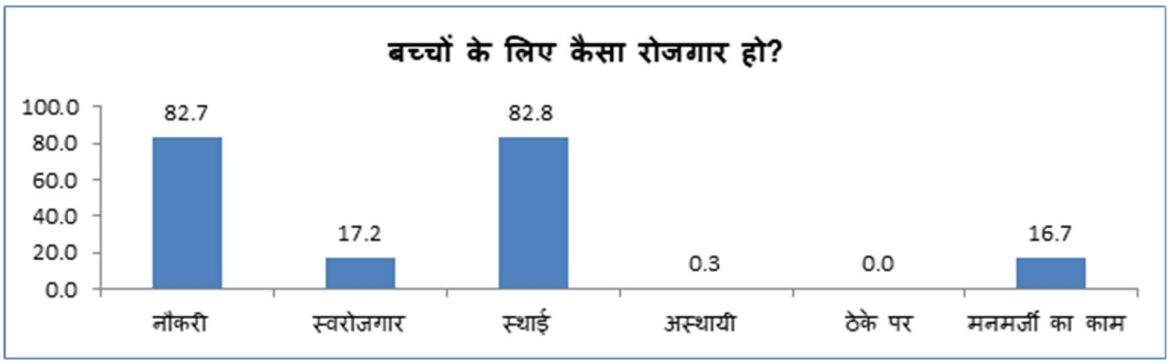

झुग्गी वासियों के अनुसार आवास का प्रकार

मास्टर प्लान 2021 के समय यह अंदाजा लगाया गया था की दिल्ली की आबादी 138 लाख से 230 लाख तक पहुंचेगी | इसका आधा हिस्सा पलायन के कारण, और बाकी आधा शहर के अपने खुद के बढ़ाव से होने थी | मास्टर प्लान 2001 मे अंदाजा लगाया था की 16.2 लाख घर बनाने की जरूरत थी | आँकलन के अनुसार केवल 5.2 लाख घर ही बने | इसी तरह मास्टर प्लान 2021 के दौरान 24 लाख घर बनाने थे | इसमे से कितने घर बने इसका ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 मे कोई उल्लेख नहीं है | मास्टर प्लान 2041 के बैस्लाइन रिपोर्ट मे भी नहीं है | इसी से हम समझ सकते हैं की कितनी आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों मे रह रही है और क्यूँ |

चित्र 8: दिल्ली कैसी बढ़ी

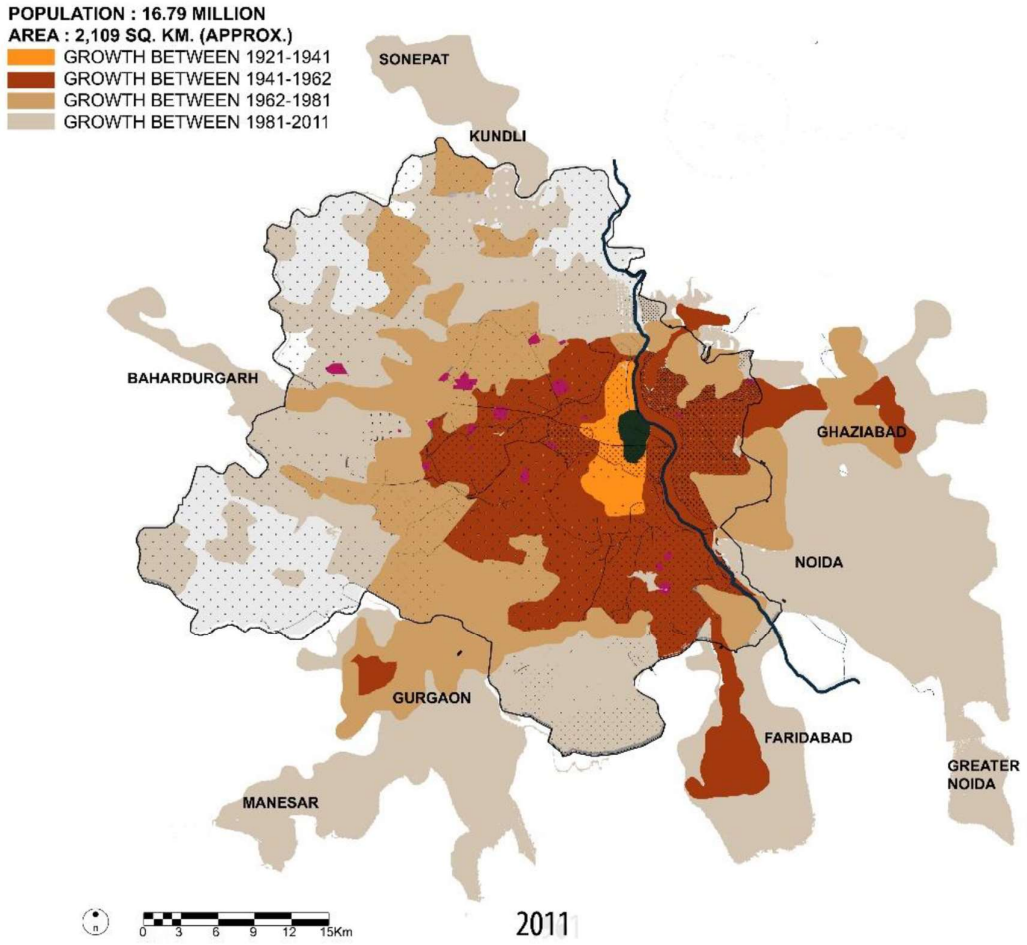

दिल्ली शहर मे हर निवासी पूछता है, जमीन कहाँ है ? और यह हम दशकों से सुनते आ रहे हैं | मास्टर प्लान 2021 बनने के समय साझा मंच ने एक शोध किया था कि जमीन कहाँ है ? दिल्ली की कुल क्षेत्रफल करीब 148,639 हेक्टेर जमीन पर फैली है | ऊपर चित्र को देखें तो पता चलता है कैसे शहर का क्षेत्रफल बढ़ता गया है |

2001 तक करीब आधा जमीन का शहरीकरण हो गया था, याने की करीब 72,000 हेक्टेर । इसमे 2001 तक अलग अलग समय 40-50% आवासीय जमीन घोषित किया गया था, याने की करीब 32,000 हेक्टेर | परंतु 1996 तक केवल 13,000 हेक्टेर का उपयोग घर बनाने के लिए उपयोग किया गया | जिसमे से 2,500 हेक्टेर मे पुनर्वास बस्तियां बसायी गई थीं | अलग अलग झुग्गी बस्तियों मे कितने परिवार और कितनी जमीन है, इसका भी आँकलन किया गया था, और यह पाया गया की 11 झुग्गी बस्तियों मे से सिर्फ 1 बस्ती ऐसी थी जहां पर्याप्त जगह नहीं थी, 10 बस्तियां ऐसी थीं जहां जमीन पर्याप्त थी |

2019 मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने शकूर बस्ती के विस्थापन के केस मे यह आदेश दिया की झुग्गीवासियों का भी शहर पर हक है | उनको आश्रय का अधिकार है, और आश्रय के अधिकार सिर्फ एक छत ही नहीं, बल्कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आहार का अधिकार, साफ पीने के पानी का अधिकार, यातायात का अधिकार - यह सभी आश्रय का अधिकार का हिस्सा हैं |

दिल्ली के पिछले तीन मास्टर प्लान में झुग्गी बस्तीवासियों को मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, और जो भी प्लान अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया उसी का क्रियान्वयन उन लोगों पर कर दिया जाता है | इस मास्टर प्लान के तहत इस अध्ययन में लोगों से पूछा गया कि वे किस तरह के आवास में रहना चाहते हैं | <u>निम्न तालिका से हम देख सकते हैं कि 97.8% लोग भूखंड या प्लाट पर अपना आवास बनाना चाहते हैं |</u>

तालिका 10

क्र.सं.	क्षेत्र	भूखंड/प्लाट	बहुमंज़ली फ्लैट
1	रोहिणी सेक्टर-20 झुग्गी JP कैंप	112	
2	बादली	62	
3	वजीरपुरइंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	146	3
4	जहांगीरपुरी K ब्लाक	102	2
5	जहांगीरपुरी H ब्लाक	94	
6	CD पार्क	104	8
7	लखी पार्क जहांगीरपुरी	94	2
8	कलंदर कॉलोनी	90	2
कुल		**804 (97.8%)**	**17 (2.1%)**

झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 61.6% उत्तरदाताओं के अनुसार उनके परिवार की व्यवस्था 25 वर्ग मीटर के भूखंड में हो सकती है, जबकि 35.6% उत्तरदाताओं की व्यवथा 40 वर्ग मीटर के भूखंड में हो सकती है |

तालिका 11

क्र.सं.	क्षेत्र	12.5 वर्ग मीटर	18 वर्ग मीटर	25 वर्ग मीटर	40 वर्ग मीटर
1	रोहिणीसेक्टर-20 झुग्गी JP कैंप			91	21
2	बादली			44	18
3	वजीरपुरइंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी		11	89	49
4	जहांगीरपुरी k ब्लाक	1	2	61	40
5	जहांगीरपुरी H ब्लाक			74	20
6	CD पार्क	1	2	49	61
7	लखी पार्क जहांगीरपुरी		2	54	40
8	कलंदरकॉलोनी	2	2	44	44
कुल		**4 (0.5%)**	**19 (2.3%)**	**506 (61.6%)**	**293 (35.6%)**

उक्त तालिका व विवरण के सम्बन्ध में अधिकांश लोग (98%) भूखंड की माँग करते हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग प्लाट पर स्वयं ही अपना घर (80.9%) बनाने की बात करते हैं |

तालिका 12

क्र.सं.	क्षेत्र	सरकारी	प्राइवेट बिल्डर	खुद बनाना है
1	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	8		104
2	बादली	7	1	54
3	वजीरपुरइंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	32		116
4	जहांगीरपुरी k ब्लाक	16	1	87
5	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12	1	81
6	CD पार्क	41	1	71
7	लखी पार्क जहांगीरपुरी	18		78
8	कलंदरकॉलोनी	18	1	73
कुल		**152 (18.5%)**	**5 (0.6%)**	**664 (80.9%)**

52% उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान जगह पर ही आवास मिलना चाहिए, और 48% के अनुसार पुनर्वास भी हो सकता है, किन्तु 95% उत्तरदाताओं ने पुनर्वास की दूरी को 2-5 किलोमीटर के दायरे में सीमित चाहा है |

तालिका 13

क्र.सं.	क्षेत्र	आवास कहाँ मिले		यदि पुनर्वास हो, तो दूरी		
		वर्तमान जगह	पुनर्वास	2-5 कि.मी.	5-10 कि.मी.	>10कि.मी.
1	रोहिणीसेक्टर -20 झुग्गी JP कैंप	108	4	111	1	
2	बादली	38	24	59	2	
3	वजीरपुरइंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	76	71	134	9	6
4	जहांगीरपुरीKब्लाक	61	43	95	4	5
5	जहांगीरपुरी H ब्लाक	44	50	93	1	
6	CD पार्क	39	74	106	4	3
7	लखी पार्क जहांगीरपुरी	40	56	94	2	
8	कलंदरकॉलोनी	22	69	88	4	
कुल		**428 (52.1%)**	**391 (47.6%)**	**780 (94.9%)**	**27 (3.3%)**	**14 (1.7%)**

शौचालय

सर्वे में अधिकांश (95.5%) उत्तरदाताओं के अनुसार घर में शौचालय होनी चाहिए, और केवल 3.5% ने कहा वे सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना चाहेंगे |

तालिका 14

	घर में?		सार्वजनिक?		उत्तरदाता
	संख्या	%	संख्या	%	
पुनर्वास बस्तियाँ	638	93.3	34	5.0	684
झुग्गी बस्तियाँ	800	97.3	18	2.2	822

पानी का कनेक्शन

दिल्ली शहर में पानी सप्लाई का काम दिल्ली जल बोर्ड करती है | दिल्ली में पानी की सप्लाई और सीवेज की सेवाओं में असमानता है | दिल्ली का एक बड़ा तबका पक्की कॉलोनियों में रहता है, जहाँ पानी पाइपलाइन से आता है, और वहां सीवेज कनेक्शन भी हैं | पर दुसरे तरफ दिल्ली की एक बड़ी आबादी, कच्ची कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों, लाल डोरा ज़मीन में, और पुनर्वास कॉलोनियों में रहती हैं |

सर्वे के दौरान झुग्गी कॉलोनियों और पुनर्वास बस्ती वासियों से पुछा गया की वे किस तरह का पानी का कनेक्शन चाहते हैं | पुनर्वास बस्तियों में 93% और झुग्गी बस्तियों में 97% लोगों ने कहा घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए |

यह सर्वे सन 2000 के बाद पुनर्वासित बस्तियों में किया गया | इन में पानी गलियों में सामुदायिक टोटी के द्वारा मिलता है | घर में निजी कनेक्शन नहीं है |

तालिका 15

	टैंकर		**पाइपलाइन**		**बोरवेल**		**घर में कनेक्शन**	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
पुनर्वास बस्तियाँ	2	0.3	38	5.6	5	0.7	638	93.3
झुग्गी बस्तियाँ	7	0.9	15	1.8	3	0.4	797	97.0

पानी की आवश्यकता

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार दिल्ली में लोगों को 225 लीटर प्रति दिन पानी की उपलब्धता है | परन्तु इसकी वितरण में असमानता है | CPHEEO के मानक के अनुसार बड़े शहर में हर व्यक्ति को 172 लीटर पानी प्रति दिन उपलब्ध होना चाहिए |

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में हर व्यक्ति को 135 लीटर प्रति दिन पीने योग्य पानी और 75 लीटर फ्लश में उपयोग होने केलिए रीसायकल किया गया पानी प्रस्तावित है | याने की कुल 210 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति, जिसमे से 135 लीटर पीने योग्य पानी होगा |

सर्वे के दौरान लोगों से पुछा गया उनको दैनिक कितने पानी की ज़रुरत है | इसकी जानकारी नीचे के रेखाचित्र और तालिका में प्रस्तुत है | ज़्यादातर लोगों ने कहा परिवार को दैनिक 500 लीटर प्रति दिन, याने की प्रति व्यक्ति करीब 100 लीटर प्रति दिन पानी (परिवार मे सदस्यों की औसत 5.02) पर्याप्त है | एक और बड़े हिस्से, पुनर्वास बस्ती में 41.7% और झुग्गी में 30.4% उत्तरदाताओं, ने कहा दैनिक 700 लीटर प्रति दिन प्रति परिवार पर्याप्त होगा, याने की 140 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |

उत्तरदाताओं द्वारा पानी की आवश्यक मात्रा 100 - 140 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है | मास्टर प्लान 2021 के मानक, और मास्टर प्लान 2041 के प्रस्तावित मानक, दोनों ही इससे अधिक हैं | परन्तु दिल्ली में हर जगह पानी पहुँचता नहीं है | जैसे मास्टर प्लान 2021 बताता है कि दिल्ली में उपलब्ध पानी को आबादी से विभाजित करें हर व्यक्ति को 225 लीटर प्रति दिन मिल सकता है | पर एक तरफ मेहरौली और नरेला में बस्तियों में हर व्यक्ति को 30 लीटर प्रति दिन भी नहीं मिलता है, दूसरी तरफ कैंटोनमेंट में हर व्यक्ति को दिन के 500 लीटर पानी नसीब होता है |

चित्र 9

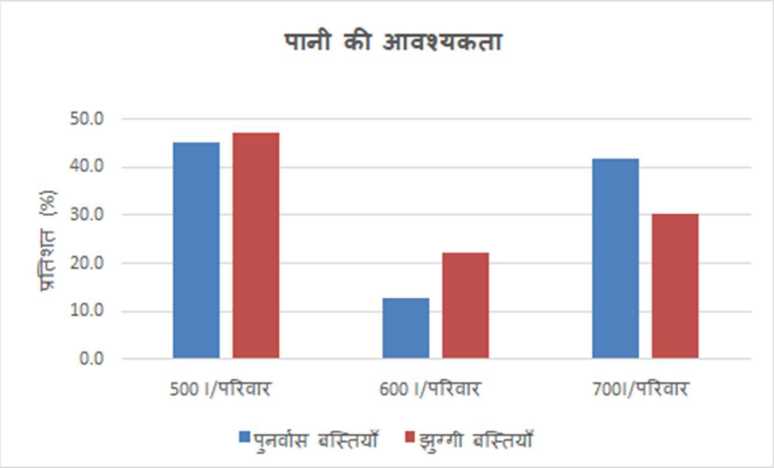

तालिका 16

क्रम	क्षेत्र	500 l/family		600 l/family		700l/family	
1	भलस्वा	77	50.0	14	9.1	63	40.9
2	मदनपुर खादर	34	36.2	7	7.4	53	56.4
3	बवाना	45	43.7	31	30.1	26	25.2
4	सवदा घेवरा	75	50.0	10	6.7	64	42.7
5	होलंबी	49	40.5	19	15.7	53	43.8
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	29	46.8	7	11.3	26	41.9
7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	57	50.9	12	10.7	43	38.4
8	बादली	15	24.2	1	1.6	46	74.2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	37	24.8	41	27.5	70	47.0
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	63	60.6	26	25.0	15	14.4
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	48	51.1	8	8.5	38	40.4
12	CD पार्क	67	59.3	36	31.9	10	8.8
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	52	54.2	37	38.5	6	6.3
14	कलंदर कॉलोनी	48	52.2	21	22.8	22	23.9
	Total	**696**	46.2	**270**	17.9	**535**	35.5

दिल्ली की बस्तियों मे पानी की बड़ी समस्या है, और अलग अलग बस्तियाँ में लोग अपने स्तर पर पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं | मास्टर प्लान के तहत हर व्यक्ति को दिन मे 150 लीटर प्रति दिन की आवश्यकता है | हर परिवार मे औसत 5 लोग हैं, इसलिए हर परिवार को 750 लीटर प्रति दिन की आवश्यकता है | और 46.2% उत्तरदाताओं के अनुसार 500 लीटर पानी प्रति दिन प्रति परिवार मे वे गुजरा कर लेंगे, परंतु इतना पानी भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है |

बस्ती में मूलभूत सुविधाएं

सर्वे के दौरान लोगों से मूलभूत सुविधाओं के बारे में पुछा गया | उनके समुदाय में या आस पास सुविधाओं की क्या स्थिति है, और उनके अनुसार ज़रुरत कितनी है | मूलभूत सुविधाओं में उनसे राशन के दूकान, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, बस टर्मिनल, शिशु वाटिका, आदि के बारे में पुछा गया |

राशन दूकान

खाद्य एवं संभरण विभाग के अनुसार 800 राशन कार्ड पर एक राशन की दुकान होनी चाहिए | सर्वे के अनुसार देखा जा सकता है यह मानक किसी भी समुदाय में लागू नहीं किया गया है | हालाँकि मानकों के अनुसार ही पुनर्वास कॉलोनियों को बसाया गया है |

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में कहीं भी एक भी राशन दुकान नहीं है | जबकि दिल्ली शहर का एक बड़ा वर्ग इन बस्तियों में रहता है | इन्हें आस पास की पक्की कॉलोनियों पर सुविधाओं के लिए आश्रित रहना पड़ता है |

उक्त दोनों तरह की कॉलोनियों के उत्तरदाताओं ने अपनी पहुँच के अनुसार और कितनी आवश्यकता है उसकी जानकारी दी है | तालिका मे वास्तविक स्थिति के आँकड़े सिर्फ पुनर्वास बस्तियों के दिए गए हैं | झुग्गी बस्तियों मे कहीं भी राशन की दुकान नहीं हैं | लोगों से पूछा गया की उनकी पहुँच मे और जरूरत के अनुसार कितने राशन दुकान होनी छाइए | यह तकरीबन 5,000 आबादी के अनुसार हैं, जो उनके आसान पहुँच मे हैं |

तालिका 17

क्र.सं.	क्षेत्र	राशन दुकान				
		आबादी	वास्तविक	मानक - 1 प्रति 800 राशन कार्ड	लोगों के पहुँच में	जरूरत - प्रति 800 राशन कार्ड
					औसत	औसत
1	भलस्वा	19578	1	5	0	2
2	मदनपुर खादर	13052		3	2	4
3	बवाना	19242	4	5	1	3
4	सवदा घेवरा	35371	4	9	3	4
5	होलंबी	52459	6	13	2	3
6	रोहिणी से-20 पुनर्वास	11566	2	3	2	3
7	रोहिणी से-20 झुग्गी JP कैंप	22590		6	2	4
8	बादली	2344		1	1	3

9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	22675		6	2	3
10	जहांगीरपुरी K ब्लाक	12530		3	1	4
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12008		3	2	3
12	CD पार्क	9407		2	1	3
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	2661		1	4	4
14	कलंदर कॉलोनी	11365		3	1	4

ऊपर के राशन के तालिका को देखकर यह साफ नजर आता है की किसी भी पुनर्वास बस्ती मे मानक के अनुसार राशन दुकान मौजूद नहीं हैं |

जब लोगों से पूछा गया की कितने राशन दुकान होनी चाहिए, हर बस्ती मे लोगों ने कहा की करीब 3 से 4 राशन दुकान प्रति 5,000 लोग (यानि करीब 800 राशन कार्ड) की आवश्यकता है | राशन विभाग का मानक 1 राशन दुकान प्रति 800 राशन कार्ड है |

स्वास्थ्य - अस्पताल और डिस्पेंसरी

जहाँ भी इंसानी बस्तियों को बसाया जाता है मुलभुत सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक होती है किन्तु दिल्ली शहर में जहाँ भी बस्तियों को पुनर्वासित किया गया है स्वास्थ्य सेवा की अनदेखी की गई है | मास्टर प्लान 2021 के तहत हर 1 लाख आबादी पर 1 अस्पताल होना चाहिए, किन्तु मानकों का क्रियान्वयन कहीं भी नहीं हुआ है | ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 के तहत 1 लाख आबादी पर 3 अस्पताल होने चाहिए |

ज़मीनी स्तर पर बवाना और सावदा घेवरा की आबादी 1 लाख से ऊपर है | यहाँ भी कोई भी अस्पताल नहीं बनाया गया है |

स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने बताया पुनर्वास बस्तियों में कहीं 1 कहीं 2 डिस्पेंसरी हैं | हालाँकि डिस्पेंसरी की स्वास्थ्य सेवा से लोग संतुष्ट नहीं है | कहीं दवाइयां नहीं मिलती, कहीं डॉक्टर नहीं बैठते | डिस्पेंसरी के होते हुए भी लोगों को प्राइवेट में डॉक्टर को दिखवाना पड़ता है | जबकि पुनर्वास बस्ती के एरिया प्लान में अस्पताल, डिस्पेंसरी के लिए मानक के अनुसार ज़मीन निर्धारित है | झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य की सुविधा की बात ही नहीं है |

पुनर्वास और झुग्गी बस्ती दोनों के ही वासियों के लिए निजी स्वास्थ्य सेवाएं उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर है, और उनकी मांग सार्वजनिक सरकारी सेवाओं पर केंद्रित है | पुनर्वास बस्तियों के प्लान मे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जगह सुनिश्चित होने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है | इसलिए सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में उनको पूरा दिन लग जाता है, इलाज पूरा नहीं मिलता है, महंगी दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती, और

उन्हें प्राइवेट से खरीदना पड़ता है | जहां डिस्पेंसरी बनी हैं, वहाँ डॉक्टर, दवाई, जांच की सुविधा आदि की व्यवस्था हो |

तालिका 18

			सरकारी अस्पताल				डिस्पेंसरी			
क्र.सं.	क्षेत्र	आबादी	MPD21 -1 / 1 लाख आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच में	ज़रुरत - प्रति 5,000 लोग	MPD21 - 1 प्रति 10,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच में	ज़रुरत - प्रति 5,000 लोग
1	भलस्वा	19578		0	0	1	2	1	0	1
2	मदनपुर खादर	13052			0	1	1		1	2
3	बवाना	19242		0	0	1	2		0	2
4	सवदा घेवरा	35371			0	1	4		1	2
5	होलंबी	52459			0	1	5		1	2
6	रोहिणी से-20 पुनर्वास	11566		0	0	1	1	1	0	2
7	रोहिणी से-20 झुग्गी JP कैंप	22590			0	1	2		1	2
8	बादली	2344			0	1			0	2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	22675			0	1	2		1	2
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	12530			1	2	1		1	2
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12008			0	2	1		1	2
12	CD पार्क	9407			1	2	1		1	2
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	2661			1	2	0		1	2
14	कलंदर कॉलोनी	11365			0	1	1		1	2

शिक्षा - स्कूल, आंगनवाड़ी और शिशु वाटिका

मास्टर प्लान 2021 के अनुसार 10,000 आबादी पर 1 प्राइमरी और 1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए | प्राइमेरी स्कूल 1600 sqm क्षेत्रफल का होना चाहिए, और सीनियर सेकन्डेरी स्कूल 2000 sqm क्षेत्रफल का होना चाहिए | पुनर्वास बस्तियों में इन मानकों का क्रियान्वयन बस्ती के बसावट से पहले होना चाहिए था, और प्लान के तहत स्कूलों की ज़मीन मौजूद है, किन्तु लगभग 20 वर्ष के बीत जाने के बाद भी इन मानकों की अनदेखी की गयी है |

सर्वे के अनुसार किसी भी बस्ती में मानक के अनुसार स्कूल नहीं हैं | जैसे की भलस्वा पुनर्वास बस्ती में 2 प्राइमरी और 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, किन्तु यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल और 1 सेकेंडरी स्कूल (10 वी तक) है | सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक भी नहीं है |

झुग्गी बस्तियों के लिए कुछ मानक ही नहीं हैं, और लोग आस पास की पक्की कॉलोनियों में मौजूद स्कूलों पर ही निर्भर हैं |

आंगनवाड़ी - 2021 मास्टर प्लान में 5000 लोगों की आबादी पर 1 आंगनवाड़ी होना चाहिए | पुनर्वास बस्तियों मे आंगनवाड़ी अन्य सुवविधाएं के साथ मिलकर हो सकता है, लेकिन हर आंगनवाड़ी 100 sqm का होना चाहिए | किसी भी पुनर्वास बस्ती या झुग्गी में इस तरह की आंगनवाड़ी नहीं है | 12.5 या 18 sqm की जगह में एक आंगनवाड़ी खोल दी गयी है, जिसमे सिर्फ बच्चों को खाना बाँट दिया जाता है | इतनी छोटी जगह में आंगनवाड़ी शुरू करके मास्टर प्लान के मानकों का मज़ाक उड़ाया गया है |

शिशु वाटिका - मास्टर प्लान 2021 और 2041 मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के अनुसार करीब 250 लोगों पर 125 sqm की एक शिशु वाटिका होनी चाहिए, जबकि शिशु वाटिका किसी भी बस्ती में नहीं है |

उत्तरदाताओं ने बताया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन का नहीं मिलना (48.7%), स्कूलों मे कम सुविधाएं (77.7%), दूरी (43.6%) और स्कूल मे ढंग से पढ़ाई न होना (32.8%) - यह सभी समस्याएँ हैं | निजी स्कूलों में उत्तरदाताओं ने बताया कि टी.सी. नहीं मिलना (64%), RTE के तहत दाखिला नहीं मिलना (65.7%), फ़ेल होने पर निकाल देना (68.5%) और अधिक खर्चा (40.2%) - यह सभी दिक्कतें आती हैं | ऐसी स्थिति में झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कॉलोनी के बच्चों के लिए निजी स्कूलों मे शिक्षा प्राप्त करना उनकी क्षमताओं से बाहर हो जाता है | उत्तरदाताओं के टिप्पणी के अनुसार सरकारी स्कूलों मे काफी सुधार की जरूरत है, इसीलिए बच्चों को ट्यूइशन या निजी स्कूलों मे भेजना पड़ता है |

<u>उनकी मांग है कि सरकारी स्कूलों की संख्या, उनकी व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति, की जरूरत है, जिससे उनके बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके |</u>

तालिका 19

			प्राइमरी स्कूल				सीनियर सेकेंडरी स्कूल			
क्र.सं.	क्षेत्र	आबादी	MPD21 – 1 / 10,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच में	ज़रुरत	MPD21 - 1 प्रति 10,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच में	ज़रुरत - प्रति 5,000 लोग
1	भलस्वा	19578	2	2	1	2	2	1	0	1
2	मदनपुर खादर	13052	1		3	4			3	4
3	बवाना	19242		2 (3 बन रहे हैं)	1	3		2	0	2
4	सवदा घेवरा	35371	3	4	2	4		3	2	3
5	होलंबी	52459		5	2	3		3	2	3
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	11566	1		2	3	1		1	2

7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	22590			2	3			1	2
8	बादली	2344			0	2			0	2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	22675	2		1	3	2		0	2
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	12530	1		1	2	1		1	2
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12008	1		1	3	1		1	2
12	CD पार्क	9407	1		1	2	1		1	2
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	2661	0		1	2	0		1	2
14	कलंदर कॉलोनी	11365	1		0	2	1		0	2

ढलाव

मास्टर प्लान 2021 के तहत 10,000 आबादी पर 1 ढलाव जिसका क्षेत्रफल 200 sqm होना चाहिए | ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में इस मानक में कोई बदलाव नहीं किया गया है | पुनर्वास बस्तियों में जहाँ कहीं भी ढलाव बनाये गए हैं, उनका क्षेत्रफल लोगों के घर (12.5 से 18 sqm) के लगभग ही बने हैं | और इन ढलाव का निर्माण बहुत निम्न स्तर का है, जो 2-3 सालों में टूट के बेकार हो जाते है | झुग्गी बस्तियों में ये भी नहीं हैं |

तालिका 20

		ढलाव			
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**MPD21 - 1 / 10,000 आबादी**	**वास्तविक**	**लोगों के पहुँच में**	**ज़रुरत - प्रति 5,000 लोग**
1	भलस्वा	2	3	2	3
2	मदनपुर खादर			1	2
3	बवाना			1	2
4	सवदा घेवरा		2	1	2
5	होलंबी		2	1	2
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	1		0	2
7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप			0	2
8	बादली			0	2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	2		1	3

10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	1		1	2
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	1		0	2
12	CD पार्क	1		1	2
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	0		1	2
14	कलंदर कॉलोनी	1		1	2

सामुदायिक सुविधाएँ

मिल्क बूथ - मास्टर प्लान 2021 के तहत 5,000 लोगों की आबादी पर 1 मिल्क बूथ होनी चाहिए | ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में भी यही मानक प्रस्तावित है | झुग्गी बस्तियों में कहीं मिल्क बूथ नहीं हैं, किन्तु पुनर्वास बस्तियों में मिल्क बूथ हैं, लेकिन जैसा की नीचे दिए गए तालिका मे देख सकते हैं, कहीं भी मानक के अनुसार नहीं हैं |

बारात घर - मास्टर प्लान 2021 के तहत 10,000 लोगों की आबादी पर 1 बारात घर होना चाहिए | कुछ पुनर्वास बस्तियों में मानक के अनुसार हैं, कुछ में मानक के अनुसार नहीं हैं | लेकिन लोगों ने बताया यह बारात घर का उपयोग कम हो पाता है, क्यूंकि इनके उपयोग करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बस्ती के लोगों के लिए सहज नहीं है |

तालिका 21

			मिल्क बूथ				बारात घर			
क्र सं	क्षेत्र	आबादी	MPD21 – 1 / 5,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच मे	जरूरत -/5000 लोग	MPD21 - 1 प्रति 10,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच मे	जरूरत -/5000 लोग
1	भलस्वा	19578	4	2	1	2	2	2	1	2
2	मदनपुर खादर	13052			0	2			1	2
3	बवाना	19242		2	1	2			1	2
4	सवदा घेवरा	35371		2	2	2	3	3	1	2
5	होलंबी	52459		2	1	2	5	3	2	3
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	11566	2		1	2	1		0	2
7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	22590			1	2			0	2
8	बादली	2344			1	2			0	2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	22675	5		1	3	2		0	2
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	12530	2		1	2	1		1	2

11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12008	2		1	2	1		0	2
12	CD पार्क	9407	2		1	2	1		1	2
13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	2661	1		1	2	0		1	2
14	कलंदर कॉलोनी	11365	2		0	2	1		1	2

मार्किट

मास्टर प्लान 2021 के तहत 10,000 लोगों की आबादी पर एक अनौपचारिक बाजार, और 5000 लोगों पर एक सेवा बाजार होनी चाहिए |

पुनर्वास बस्तियों में मार्किट की जगह सुनिश्चित है, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वह मात्र जगह ही है | इस जगह पर ना ही कोई मार्किट का निर्माण हुआ, ना ही बस्ती के लोगों को आबंटित हुई, इसलिए अपनी जरूरत के लिए लोगों ने साप्ताहिक बाजारों की व्यवस्था की है, जिससे वे अपनी जरूरत के समान की पूर्ति करते हैं | भलस्वा और सावदा मे सिर्फ लोगों द्वारा साप्ताहिक बाजार बनाए हैं, और होलम्बीकलाँ और बवाना मे 2 और 3 सेवा बाजार हैं |

किसी भी बस्ती मे किसी प्रकार का बड़ा मार्केट नहीं है, लोग अपने जरूरत के लिए आस पास के पुराने बाजारों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं |

तालिका 22

			बाज़ार एवं सेवा बाज़ार			
क्र सं	क्षेत्र	आबादी	MPD21 - 1 / 10,000 आबादी	वास्तविक	लोगों के पहुँच मे	जरूरत - प्रति 5,000 लोग
1	भलस्वा	19578	2	0	0	1
2	मदनपुर खादर	13052			0	1
3	बवाना	19242		0	0	2
4	सवदा घेवरा	35371		0	0	1
5	होलंबी	52459		0	1	1
6	रोहिणी sec-20 पुनर्वास	11566	1		0	1
7	रोहिणी sec-20 झुग्गी JP कैंप	22590			0	1
8	बादली	2344			0	2
9	वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी	22675	2		0	2
10	जहांगीरपुरी k ब्लाक	12530	1		1	1
11	जहांगीरपुरी H ब्लाक	12008	1		1	1
12	CD पार्क	9407	1		1	2

13	लखी पार्क जहांगीरपुरी	2661	0		1	2
14	कलंदर कॉलोनी	11365	1		0	2

भौतिक अवसंरचना (physical infrastructure)

बिजली घर - मास्टर प्लान 2021 के मानक के तहत हर 10,000 लोगों पर एक 11 किलोवोल्ट का बिजली घर होना चाहिए, जिसका क्षेत्रफल 40 sqm होना चाहिए | ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 का भी यही प्रस्तावित मानक है | झुग्गी बस्तियों मे भी सभी के पास बिजली का कनेक्शन और मीटर है | अगर हम पुनर्वास बस्तियों को देखें, पुनर्वासित होने के बाद, अपने घर तक बिजली के लाइन को पहुंचाने के लिए सभी ने बिजली डिपार्ट्मन्ट को फीस और शुल्क दिए, लेकिन अभी भी केवल बवाना और सावदा मे एक-एक बिजली घर हैं, जबकि उनके आबादी के आधार पर वहाँ कम से कम 2 और 4 बिजली घर होने चाहिए थे, और होलम्बीकलाँ और भलस्वा मे एक भी बिजली घर नहीं है |

अन्य

जिन पुनर्वास और झुग्गी बस्तियों मे सर्वे किया गया इनकी आबादी 1 लाख से कम हैं | परंतु लोगों से इन भौतिक अवसंरचनों के बारे मे पूछा गया |

पुलिस चौकी - 1 लाख आबादी पर 1 पुलिस चौकी होनी चाहिए | बहुत बस्तियों मे लोगों को सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी की मांग है |

बस टर्मिनल - 1 लाख आबादी पर 1 बस टर्मिनल होना चाहिए | सभी पुनर्वास बस्तियां दिल्ली के बाहरी क्षेत्र मे बसाये गए हैं | बहुत लोग अभी भी अपने पुराने बसावत के क्षेत्र या शहर के अन्य औद्योगिकी इत्यादि क्षेत्र मे काम करते हैं, इसी लिए यहाँ बसों की अत्यंत जरूरत है |

अध्ययन का निष्कर्ष

उत्तरदाताओं से बातचीत व बताये गए आंकड़ों के अनुसार अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है -

आवास -

- मास्टर प्लान 2021 के मानकों का जमीनी स्तर पर पूरी तरह से क्रियानवयन आज तक नहीं किया गया है, और अभी नया मास्टर प्लान 2041 में इन बातों को दोबारा से दोहराया गया है |
- दिल्ली के मास्टर प्लान योजनाओं ने आवास के सन्दर्भ में अपने ही प्लान का पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं किया है | जैसे 1962 से अब तक 60 वर्षों में DDA को कुल 44.5 लाख मकान बनाने थे, जिसमे से उन्होंने केवल 10.88 लाख माकन ही बनाये हैं | और इसी लिए दिल्ली शहर में झुग्गी बस्तियां मौजूद हैं |
- 60% आबादी झुग्गी बस्ती और कच्ची कॉलोनी में रहती है, जिनके लिए मास्टर प्लान को देखते हुए बहुत सवाल उठते हैं | पुनर्वास बस्तियों में मालिकाना हक़? कच्ची कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में जनसुविधाएं? इन सब के बारे में मास्टर प्लान मे कोई स्पष्ट योजना नहीं हैं |
- झुग्गी बस्ती जीवन जीने योग्य नहीं होती, इसीलिए लोगों को पुनर्वास बस्तियों में बसाया जाता है | हालाँकि पुनर्वास बस्तियों में झुग्गी बस्तियों से भी अधिक समस्याएं हैं | वहां मास्टर प्लान के मानक तो बनाये गए हैं, लेकिन इनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है |
- इतने सालों से दिल्ली में रहते हुए झुग्गीवासियों ने अपना घर और बस्ती का विकास किया है | सर्वे के अनुसार अधिकांश झुग्गी वासी फ्लैट योजना की जगह ज़मीन की मांग कर रहे हैं, जिसमे वह स्वयं अपना घर का निर्माण कर लेंगे | यह संभव हो सकता है, क्यूंकि जहाँ बस्तियां बसी हैं, उसी को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा सकता है |

रोजगार -

- 96.5% लोगों ने बताया उन्हें रोजगार आसानी से नहीं मिलता है | लोग जो काम करते हैं उससे उनको जीवन जीने लायक आमदनी नहीं होती | सर्वे के अनुसार औसत हर व्यक्ति की मासिक आमदनी लगभग रु. 6900 है, जबकि वर्ष 2018 की अनूप सत्पथी कमिटी ने रु. 11,180 प्रति माह न्यूनतम वेतन का सिफारिश किया था, और सरकारी नौकरी मे सबसे न्यूनतम आय रु.18,000 तय है |
- रोजगार के संदर्भ मे सरकार का ध्यान स्वरोजगार पर केंद्रित है | इस संबंध मे लोगों ने बताया उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है -
    - जगह नहीं मिलती |
    - पुनर्वास कॉलोनी के निवासियों के दस्तावेज़ों के आधार पर उनको लोन नहीं मिलता, क्यूंकी उनके पास मालिकाना हक नहीं है |
    - यदि वे रेडी पटरी या साप्ताहिक बाजार में कुछ काम करना चाहता है तब उसे हफ्ता देना पड़ता है |
- रोजगार की समस्याओं को देखते हुए लोगों के सुझाव है कि सरकार द्वारा रोजगार के संसाधनों को बढ़ाया जाए, सरकारी भर्ती जो कि 1990 के दशक से बंद है उसे खोला जाए, स्थायी नौकरी की व्यवस्था हो, लोगों

को स्वरोजगार के लिए लोन की प्रक्रिया को आसान किया जाए, साल मे 300 दिन काम सुनिश्चित होना चाहिए |

शिक्षा

- मास्टर प्लान 2021 मे पुनर्वास और अन्य घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में मानकों में भेदभाव किया गया है | जैसे की स्कूलों का क्षेत्रफल कम है, जो की नहीं होना चाहिए |
- किसी भी बस्ती मे स्कूलों की संख्या मानकों के अनुसार नहीं है, और लोगों ने बताया स्कूल मे स्कूलों मे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायी जाए, और बच्चों को निजी स्कूलों मे नहीं भेजना पड़े, जो उनके आर्थिक क्षमता से बाहर है |

स्वास्थ्य

- मास्टर प्लान 2021 के मानकों के अनुसार किसी भी बस्ती मे डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं हैं, हालांकि पुनर्वास बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जगह सुनिश्चित है |
- लोगों की मांग है कि उनको सरकारी स्वास्थ्य सवाएं मिलें, जहां स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं प्राप्त हो सकें - डिस्पेंसरी / अस्पताल मे डॉक्टर की कमी न हो, दवाइयाँ पूरी मिलें, जाँच के संसाधन हो |

जन सुविधाएं -

- जन सुविधाओं का निजीकरण न हो, बल्कि उनकी व्यवस्था मे सुधार होना चाहिए |
- बस्तियों मे घर घर मे पानी, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए |
- पुनर्वास और झुग्गी बस्तियों मे पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए |
- कचरा प्रबंधन भी सरकारी तौर पर होना चाहिए, ढलाव, कचरा उठाने की गाड़ी इत्यादि होनी चाहिए |
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत दिल्ली शहर की जनसंख्या के अनुसार सन 2001 मे 10,000 बुसेन होनी चाहिए, परंतु अभी 2021 मे भी 6,700 बसें ही हैं, जबकि जनसंख्या के अनुसार बसों की संख्या 10,000 से बढ़कर अधिक होनी चाहिए थी |

References

- दिल्ली मास्टर प्लान 2021 - दिल्ली विकास प्राधिकरण
- ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2041 - दिल्ली विकास प्राधिकरण
- दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19
- State of Working India 2021: One Year of Covid 19 - Azim Premji University
- Too Precious to Drink - Hazards Centre
- Blueprint of Apartheid City - Hazards Centre
- https://www.livemint.com/news/india/govt-forms-expert-panel-to-finalise-national-mandatory-minimum-wage-11622709484186.html
- https://www.livemint.com/news/india/govt-forms-expert-panel-to-finalise-national-mandatory-minimum-wage-11622709484186.html